पत्रांक–14 / डी०एल०ए० (लीज) नीति–69 / 2014–.............................. / रा०,

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

Fax/E-mail

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना, दिनांक:–.........................2018

विषयः– **बिहार रैयती भूमि लीज नीति, 2014 के तहत पथ निर्माण विभाग की लघु/छोटी परियोजनाओं हेतु भूमि लेने के लिए "समाहर्ता" को "सक्षम प्राधिकार" की शक्ति प्रत्यायोजित करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार रैयती भूमि लीज नीति, 2014 के तहत आधारभूत संरचना, जैसे–शैक्षणिक संस्थानों/सड़क/बिजली परियोजनाओं/सम्पर्क पथ/स्टेडियम/बांध/नहर/लैंड बैंक, आदि का निर्माण, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं अन्य लोक उद्देश्य से सम्बन्धित कार्यों के लिए भूमि सतत लीज **(Perpetual Lease)** पर लिये जाने का प्रावधान है।

2. इस सम्बन्ध में पथ निर्माण विभाग की लघु/छोटी परियोजनाओं हेतु सतत लीज पर भूमि लिए जाने की कार्रवाई त्वरित गति से निष्पादन लिये जाने के दृष्टिकोण से बिहार रैयती भूमि लीज नीति, 2014 के तहत जिला समाहत्ताओं को "सक्षम प्राधिकार" (Competent Authority) की शक्ति प्रत्यायोजित करने के प्रस्ताव की समीक्षा सरकार स्तर पर की गई। समीक्षोपरांत इस सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय संसूचित किये जाते है–

(1.) **पथ निर्माण विभाग की लघु/छोटी परियोजनाओं यथा–पहुँच पथ (Approach Road), पुल, पुलियों,इत्यादि से सम्बन्धित वैसी परियोजनाएँ जिनमें 25.00 एकड़ तक सतत लीज नीति के तहत भूमि लेने की कार्रवाई की जानी है, उन मामलों में सम्बन्धित जिला समाहर्त्ता को "समक्ष प्राधिकार" (Competent Authority) घोषित किया जाता है।**

(2.) पथ निर्माण विभाग की लघु/छोटी परियोजनाओं यथा–पहुँच पथ (Approach Road), पुल, पुलियों, इत्यादि से सम्बन्धित सतत लीज के डीड **(Perpetual Lease Dead)** निष्पादन की शक्तियाँ समाहर्त्ता अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों, यथा अपर समाहर्त्ता/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगें।

(3.) उक्त नीति के तहत भूमि के लेने की कार्रवाई में सम्बन्धित कार्यपालक अभियंता तथा उनके कार्यालय के अधीनस्थ पदाधिकारी एवं कर्मी जिला समाहर्त्ता के निदेशानुसार वांछित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगें।

(4.) लीज नीति के तहत ली गई भूमि से संबंधित अभिलेखों के संधारण की जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यपालक अभियंता की होगी एवं इस संबंध में आवश्यक दिशा–निदेश पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्गत किया जाएगा।

(5.) बिहार रैयती भूमि लीज नीति, 2014 के अन्य सभी प्रावधान यथावत् लागू होंगे।

अनुरोध है कि उपरोक्त निर्णय के आलोक में तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
प्रधान सचिव।

D:\Pappu\Chandra Shekhar Ji\2018\Letters_18.docx

ज्ञापांक–......................./रा0,   पटना, दिनांक–..............................2018.

प्रतिलिपिः–सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–......................./रा0,   पटना, दिनांक–..............................2018.

प्रतिलिपिः–सभी अपर समाहर्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–......................./रा0,   पटना, दिनांक–..............................2018.

प्रतिलिपिः–सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–......................./रा0,   पटना, दिनांक–..............................2018.

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–.....494...../रा0,   पटना, दिनांक–27-04-.....2018.

प्रतिलिपिः–आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

27/4
प्रधान सचिव।